रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/2001 REGISTERED No. DL—33001/2001

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, 20 जनवरी, 2001 (पौष 30, 1922)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 20, 2001 (PAUSA 30, 1922)

SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA 19/6/2001

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	13
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	59
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	45
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	118
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	39
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के अधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	741
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गये विज्ञापन और नोटिस	7
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	13
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	59
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	45
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bill and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	115
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	39
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	741
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	7
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सिविलर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2001

सं. ए-11019/1/2000-प्रशा.-3 (वि.का.)—केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 255 की उप धारा (3) के अनुसरण में, आयकर अपीलीय अधिकरण के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है :—

क्रम संख्या, नाम दिनांक, जिससे एस.एम.सी की शक्तियां प्रदान की गई
1. श्री मनमोहन, न्यायिक सदस्य—02-08-2000 ।
2. श्री आई.एस. वर्मा, न्यायिक सदस्य—11-10-2000 ।
3. श्री यू.वी.एस. बेदी, न्यायिक सदस्य—21-12-2000 ।
4. श्री एम. एम. चेरियन, लेखा सदस्य—17-12-2000 ।
5. श्री आर. के गुप्ता, न्यायिक सदस्य—31-10-2000 ।
6. श्री एम. वी. आर. प्रसाद, लेखा सदस्य—11-12-2000 ।
7. श्री एस. आर. चौहान, न्यायिक सदस्य—17-12-2000 ।
8. श्री पी. मोहन राजन, न्यायिक सदस्य—22-11-2000 ।
9. श्री एल. एल. कार्वा, न्यायिक सदस्य—27-12-2000 ।

वी. श्रीनिवासन
उप सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2001

संकल्प

विषय : सर्व शिक्षा अभियान के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना

स. एफ. 2-4/2000 डेस्क (ई.ई.)—राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और इसकी कार्य-योजना, 1992 में सभी को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रावधान किया गया । इस मिशन का सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों, मानव, वित्तीय तथा संस्थागत को जुटाना प्रमुख उद्देश्य था । अक्तूबर, 1998 में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में मिशन पद्धति से सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा की प्राप्ति के लक्ष्य की सिफारिश की गई थी । माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रियों की एक राष्ट्रीय समिति मिशन पद्धति के प्रति दृष्टिकोण अपनाने की सम्मेलन की सिफारिश के आधार पर गठित की गई थी । राज्यों के परामर्श से सर्व शिक्षा अभियान के कार्य-ढांचे को, जो मिशन पद्धति से सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का एक सर्वांगीण और बहुमुखी दृष्टिकोण है, अंतिम रूप दिया गया है । सर्व शिक्षा अभियान में निम्नलिखित पर प्रमुख बल दिया जाएगा :—

(1) 2003 तक स्कूल/शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र/सेतु पाठ्यक्रम में सभी 6—14 आयु वर्ग के बच्चे ।

(2) 2007 तक सभी 6—14 आयु वर्ग के बच्चे 5 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें ।

(3) 2010 तक सभी 6—14 आयु वर्ग के बच्चे 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें ।

2. यह दृष्टिकोण समुदाय-उन्मुखी है और पंचायती राज संस्थाओं के परामर्श से तैयार की गई ग्राम-शिक्षा योजनाओं से जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं का आधार तैयार होगा । राज्यों को राज्य स्तर पर गठित सोसाइटियों के माध्यम से निधियां

प्रदान की जाएंगी । अनुसूचित जाति तथा अनु. जनजातियों के बीच निम्न महिला साक्षरता वाले जिलों पर प्रमुख ध्यान दिया जाएगा । सर्व शिक्षा अभियान में पूरे देश को शामिल किया जाएगा जिसमें लड़कियों, अनु. जातियों तथा अनु. जनजातियों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

3. प्रारम्भिक शिक्षा सभी को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (प्रारम्भिक शिक्षा विभाग) में सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का निर्णय किया है । सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) का एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त विंग होगा जिसके पास उसके कार्यक्षेत्र में संपूर्ण कार्यकारी तथा वित्तीय अधिकार होंगे । राष्ट्रीय स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए यह केन्द्रीय निकाय होगी ।

4. सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन की एक शासी परिषद् और एक कार्यकारी समिति होगी । सर्व शिक्षा अभियान की शासी परिषद् में निम्नलिखित होंगे :—

(1) भारत के प्रधानमंत्री—अध्यक्ष

(2) मानव संसाधन विकास मंत्री—उपाध्यक्ष

(3) वित्त मंत्री—भारत सरकार

(4) उपाध्यक्ष—योजना आयोग

(5) महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(6) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री

(7) प्रमुख राष्ट्रीय दलों के छह वरिष्ठ स्तरीय नेता

(8) तीन संसद सदस्य (लोक सभा से दो, राज्य सभा से एक)

(9) प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी छह राज्यों के शिक्षा मंत्री

(10) शिक्षकों तथा शिक्षक संघों के छह प्रतिनिधि

(11) शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों आदि में से पांच व्यक्ति

(12) शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से छह व्यक्ति

(13) महिला संगठनों से तीन व्यक्ति

(14) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत तीन व्यक्ति

5. निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :—

(1) सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग

(2) महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

(3) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

(4) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

(5) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

(6) महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

(7) संयुक्त सचिव,
प्रारम्भिक शिक्षा और महानिदेशक सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन,
सदस्य सचिव

6 सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन में सभी व्यक्ति भारत सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे । सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन के अध्यक्ष इसके अतिरिक्त परिषदों की बैठकों में विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में आवश्यक समझे जाने वाले व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकते हैं । सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन के सदस्यों का कार्य काल 2 वर्षों की अवधि का होगा और वे पुन नामित होने के पात्र होंगे ।

कार्यकारी समिति

सर्व शिक्षा अभियान मिशन की एक कार्यकारी समिति होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे ।

अध्यक्ष

(1) मानव संसाधन विकास मंत्री

उपाध्यक्ष

(2) सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(3) निदेशक, रा. शै. अ. प्र. परिषद्

(4) निदेशक, नीपा

(5) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

(6) महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

(7) महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

(8) वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(9) प्रधान सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग

(10) सात गैर-सरकारी अधिकारी जिसमें शिक्षक, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामित किए गए शिक्षाविद् शामिल होंगे ।

(11) राज्यों के चार शिक्षा सचिव

(12) संयुक्त सचिव, प्रारंभिक शिक्षा और महानिदेशक, सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन —सदस्य-सचिव

परिषद् के अधिकार

यह परिषद् भारत में प्रारंभिक शिक्षा के लिए शीर्षस्थ नीति निर्धारक निकाय होगी । संसद द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधान के अंतर्गत परिषद् को उसकी उपयोगिता के लिए पूर्ण स्वायत्तता होगी ।

कार्यकारी समिति के अधिकार

कार्यकारी समिति परिषद् द्वारा निर्धारित नीति एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन के सभी कार्य करेगी ।

सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय मिशन को अपने स्वयं के नियम एवं कार्यविधियां तैयार करने का अधिकार होगा । इसके अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समय तथा स्थान पर छह माह में कम से कम एक बैठक होगी ।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सर्व शिक्षा मिशन के सभी सदस्यों को परिचालित कर दी जाए ।

आदेश है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दी जाए ।

आदेश है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अचला मौलिक
सचिव

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

(नीति और योजना प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2000

विषय :—कृषि पर उच्चस्तरीय कार्य बल का गठन ।

सं.-10-5/-नीति-ई.एस.—कृषि क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक जीवन की धुरी है । यह देश की एक अरब जनसंख्या को भोजन, कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है तथा देश की दो तिहाई जनसंख्या की आजीविका का साधन है ।

2. कृषि क्षेत्र में उत्पादन, रोजगार तथा आय सृजन की अनन्य संभावनाएं हैं । उत्पादन प्रौद्योगिकियों जैसे जैव-प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरस्थ संवेदी प्रौद्योगिकियों में तेजी से होने वाले परिवर्तनों से आत्म-निर्भरता, भोजन, पोषण सुरक्षा तथा कृषक समुदाय की संपन्नता की खोज में नए अवसर खुले हैं। विविध कृषि-पारिस्थितिकी दशाओं, श्रम की तुलनात्मक कम लागत तथा आदानों में लगभग आत्म-निर्भरता के कारण भारत को कृषि निर्यात में काफी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिला है । कृषि में विश्व व्यापार के उदारीकरण ने कृषि विकास तथा विविधीकरण के लिए नए द्वार खोल दिए हैं ।

3. बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक उदारीकरण तथा समायोजन वृहत विकास संभावना का दोहन करने के लिए नई कृषि प्रौद्योगिकियों तथा कृषि प्रबंधन पद्धतियों के लिए मांग रख रहा है । देश को इस क्षेत्र में उभरते अवसरों के पूर्ण उपयोग के लिए किसानों को अधिक प्रयास करने तथा निवेश करने के लिए उत्पादन पद्धतियों, बीमा, मूल्यसंघ में प्रभावशाली जोखिम कवर प्रदान करने के लिए उपाय करने की भी आवश्यकता है ।

4. निम्नलिखित संयोजन से कृषि पर उच्चस्तरीय कार्यबल गठित करने का निर्णय किया गया है :—

अध्यक्ष

(1) श्री शरद जोशी, अध्यक्ष, शेतकारी संगठन

सदस्य

(2) श्री पी. पी. प्रभु, पूर्व सचिव (वाणिज्य), भारत सरकार

सदस्य

(3) प्रो. अभिजीत सेन, अर्थशास्त्री, वर्तमान अध्यक्ष, कृषि ।

सदस्य-सचिव

(4) श्री आर सी. ए. जैन, अपर सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ।

5. कार्यबल की निम्नलिखित विचारार्थ शर्तें हैं :—

(क) भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धताओं के प्रभाव का मूल्यांकन तथा इस संधि से सामने आने वाले अवसरों की तलाश के समय इस क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए उपायों का सझाव देना;

(ख) कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के लिए सिफारिश ।

(ग) कृषि में उत्पादन पद्धतियों, बीमा, मूल्य संघ, भावी व्यापार इत्यादि सहित में प्रभावशाली जोखिम प्रबंधन के लिए सिफारिशें ।

(घ) सरकार द्वारा संदर्भित अन्य मामले ।

6. नीति और योजना प्रभाग, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय कार्य बल को सचिवालयी सहायता प्रदान करेगा । कार्य बल के सदस्य नियमानुसार यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता के पात्र होंगे ।

7. कार्य बल अपनी रिपोर्ट फरवरी 2001 तक प्रस्तुत करेगा । फिर भी आवश्यकता पड़ने पर यह अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति को भारत सरकार के सभी अन्य मंत्रालयों तथा विभागों, सभी राज्य सरकार तथा संघराज्य क्षेत्र, प्रधानमंत्री का कार्यालय, योजना आयोग, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, राष्ट्रपति का सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत सरकार के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षाकार तथा कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के तहत सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय में संप्रेषित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

गोविंदन नायर
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 3rd January 2001

No. A-11019/1/2000-Adm.III(LA).—In pursuance of sub-section (3) of section 255 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises the following Members of the Appellate Tribunal for the purpose of the said sub-section with effect from the dates mentioned against each of them :

Sl. No., Name & Date on which SMC Powers Conferred

1. Sh. D. Manmohan, JM—02-08-2000
2. Sh. J. S. Verma, JM—11-10-2000
3. Sh. U. B. S. Bedi, JM—21-12 2000
4. Sh. M. M. Cherian, AM—17-12-2000
5. Sh. R. K. Gupta, JM—31-10-2000
6. Sh. M. V. R. Prasad, AM—11-12-2000
7. Sh. S. R. Chauhan, JM—17-12-2000
8. Sh. P. Mohanarajan, JM—22-11-2000
9. Sh. H. L. Karwa, JM—27-12-2000

V. ANANTHAKRISHNAN
Dy. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION & LITERACY)

New Delhi, the 2nd January 2001

RESOLUTION

Subject : SETTING UP OF NATIONAL MISSION FOR SARVA SHIKSHA ABHIYAN.

No. F. 2-4/2000-Desk (EE).—The National Policy of Education 1986, and its Programme of Action 1992, provided for the setting up of a National Mission for the achievement of the goal of Universal Elementary Education. The Mission was to have the central objective of mobilising all the resources, human, financial and institutional necessary for achieving the goal of UEE. The Education Ministers' conference held in October, 1998 had recommended the pursuit of Universal Elementary Education in the mission mode. A National Committee of Education Ministers under the Chairmanship of the Hon'ble Human Resource Development Minister Dr. Murli Manohar Joshi was set up on the recommendation of the conference to work out the approach to the mission mode. The committee submitted its report in October, 1999. A framework for Sarva Shiksha Abhiyan, a holistic and convergent approach to UEE in the mission mode has been finalised in consultation with states. The major thrust in the Sarva Shiksha Abhiyan will be as follows :—

(i) All 6–14 age children in school/EGS centre/bridge course by 2003.

(ii) All 6–14 children complete five year primary education by 2007.

(iii) All 6–14 children complete eight years of schooling by 2010.

2. The approach is community owned and village education plans prepared in consultation with Panchayati Raj institutions will form the basis of district elementary education plans. Funds to states would be channelised to registered societies at state level. There will be focus on districts having low female literacy among Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Sarva Shiksha Abhiyan will cover the entire country with a special focus on educational needs of girls, Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

3. In order to facilitate universal elementary education, the Government of India has decided to set up the Sarva Shiksha Abhiyan National Mission in the Ministry of Human Resource Development (Department of Elementary Education). The Sarva Shiksha Abhiyan National Mission will be an independent and autonomous wing of the Ministry of HRD (Department of Elementary Education & Literacy), vested with full executive and financial powers in its sphere of work. It will be the nodal body for all matters relating to elementary education at the national level.

4. The Sarva Shiksha Abhiyan National Mission shall have a Governing Council and an executive committee. The Governing Council of Sarva Shiksha Abhiyan will comprise of the following :—

(i) Prime Minister of India—Chairman.

(ii) Minister of HRD—Vice Chairman.

(iii) Finance Minister, GOI.

(iv) Deputy Chairman, Planning Commission.

(v) Minister of State, Women & Child Development.

(vi) Minister of State for Social Justice & Empowerment.

(vii) Six senior level political leaders of the main national parties.

(viii) Three Members of Parliament (Two from the Lok Sabha, one from the Rajya Sabha).

(ix) Six Education Minister of States responsible for elementary education.

(x) Six representatives of teachers and teacher unions.

(xi) Five persons from among educationists, scientists etc.

(xii) Six persons from non-governmental organisations working in the field of education.

(xiii) Three persons from women's organisations.

(xiv) Three persons working among Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the field of elementary education.

5. The following will be ex-officio members :—

(i) Secretary, Department of Elementary Education & Literacy.

(ii) Director General, NLM

(iii) Director, NIEPA

(iv) Director NCERT.

(v) Chairman, NCTE.

(vi) Director General, CSIR.

(vii) Joint Secretary Elementary Education and Director General, Sarva Shiksha Abhiyan National Mission —Member-Secretary.

6. Nominations on Sarva Shiksha Abhiyan National Mission shall be made by the Government of India. The Chairman of Sarva Shiksha Abhiyan National Mission may additionally, invite to the meeting of the Councils, as special invitee, such person as may be seen necessary. The Members of the Sarva Shiksha Abhiyan National Mission will hold office for a term of two years and will be eligible for re-nomination.

EXECUTIVE COMMITTEE

The Sarva Shiksha Abhiyan National Mission will have an Executive Committee consisting of the following :—

(i) Minister Human Resource Development—Chairman.

(ii) Secretary, Department of Elementary Education & Literacy—Vice-Chairman.

(iii) Director, NCERT.

(iv) Direcor, NIEPA.

(v) Chairman, NCTE.

(vi) DG, NLM.

(vii) DG, CSIR.

(viii) FA, MHRD

(ix) Principal Adviser (Education) Planning Commission.

(x) Seven non-officials comprising of teachers, NGOs representatives, educationists to be nominated by the Chairman of the Council.

(xi) Four Education Secretaries of the States.

(xii) Joint Secretary, Elementary Education & DG, Sarva Shiksha Abhiyan National Mission—Member-Secretary.

Powers of the Council

The Council shall be the apex policy planning body for elementary education in India. Within the Budget provision approved by Parliament, the Council shall have full autonomy for their utilization.

Powers of the Executive Committee

The Executive Committee shall carryout all the functions of the Sarva Shiksha National Mission in accordance with the policy and guidelines laid down by the Council.

The Sarva Shiksha Abhiyan National Mission shall have the power to frame its own rules and proceedures. It shall elect at least once in six months at such time and places as may be fixed by the Chairman.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all members of the Sarva Shiksha Mission.

ORDERED that a copy of this resolution be sent to all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazetted of India for general information.

ACHALA MOULIK, Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

(POLICY & PLAN DIVISION)

New Delhi, the 12th September 2000

Subject :—Constitution of a High Level Task Force on Agriculture

F. No. 10-5/99-Policy-ES.—Agriculture sector is central to the social economic life of the country. It provides food for one billion population of the country, raw material for agro based industries and is a source of livlihood to two-thirds of country's population.

2. The agriculture sector has a tremendous potential for generating production, employment and incomes. Rapid changes in production technologies such as bio-technology, information technology and remote sensing technologies have opened new opportunities in the quest for self-relience, food and nutritional security and prosperity for the farming community. India has considerable competitive advantage in agriculture exports, because of diverse agro-climatic conditions, relatively lower labour costs and near self-sufficiency of inputs. Liberalization of world trade in agricultre has opened up new vistas for growth and diversification of agriculture.

3. Economic liberalization and adjustments to market economy are placing demands for new agriculture technologies and agro management practices to harness the huge growth potential. The country also needs to take measures to provide an effective risk cover in production systems, insurance, price mechanisms, etc., to the farmers to induce them to put in greater efforts and investments to make full use of the emerging opportunities in the sector.

4. It has been decided to constitute a High Level Task Force on Agriculture with the following composition :

Chairman

(i) Shri Sharad Joshi,
Chairman, Shetkari Sangathana

Members

(ii) Shri P. P. Prabhu,
Former Secretary (Commerce),
Government of India.

(iii) Prof. Abhijit Sen,
Economist, presently Chairman,
Commission for Agricultural Costs & Prices,
New Delhi.

Member-Secretary

(iv) Shri R. C. A. Iain,
Additional Secretary,
Deptt. of Agri. & Coop., Ministry of Agriculture.

5. The Task Force will have the following Terms of Reference :—

(a) To assess the impact of WTO commitments on Indian agriculture and to suggest steps to safegaurd the interests of the sector, while exploiting the opportunities presented by this treaty;

(b) To make recommendations to integrate the use of information technology and other emerging technologies in the agricultural sector;

(c) To make recommendations for effective risk management in agriculture including in production systems, insurance, price mechanisms, future trading, etc.; and

(d) Any other matter referred to it by the Government.

6. The Policy & Plan Division, Department of Agriculture & Cooperatiion, Ministry of Agriculture, will provide the secretarial assistance to the Task Force. The members of the Task Force shall be eligible for TA/DA as per Rules.

7. The Task Force shall submit its report by February 2001. It may, however, submit interim reports, as and when considered necessary.

Endorsement No. 10-5/99-Policy-ES dated the 12th September 2000

ORDER

ORDERED that a copy of the Notification be communicated to all other Ministries and Departments of the Government of India, all the State Governments and Union Territories, Prime Minister's Office, Planning Commission, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all Attached and Subordinate Officers under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation).

ORDERED also that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

GOVINDAN NAIR
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित—2001
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, DELHI—2001